



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2012/कार्तिक 18, 1934

No. 2250]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2012/KARTIKA 18, 1934

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2012

का.आ. 2705(अ).—केन्द्रीय सरकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 14 नवम्बर, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. 22-14/2012-सीडब्ल्यू-1]

डॉ. विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2012

S.O. 2705(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (No. 32 of 2012), the Central Government hereby appoints the 14th November, 2012, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 22-14/2012-CW-1]

Dr. VIVEK JOSHI, Jt. Secy.